# The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1410]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 13, 2010/आचाइ 22, 1932

No. 1410]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 13, 2010/ASADHA 22, 1932

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2010

का.आ. 1663(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 17 के साथ पठित धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रोन्ति) नियम, 1998 को अधिक्रांत करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, इन नियमों की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय बैंक और समर्थित बैंकों से परामर्श करने के पश्चात्, निम्निलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

# 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रोन्निति) नियम, 2010 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

#### 2. परिभाषाएं.-

2679 GI/2010

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है;
- (ख) "सिमति" से इन नियमों के नियम 11 के अधीन बोर्ड द्वारा गठित सिमति अभिप्रेत है;
- (ग) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम से अधिनियम की धारा 30 के अधीन विरच्ति सेवा विनियम अभिप्रेत है;
- (घ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूचियों में से कोई अनुसूची अभिप्रेत हैं;
- (ङ) दूसरी अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के संबंध में "समर्थक बैंक" से अभिग्रेत है,—
  - (i) दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रादेशिक समर्थक बैंक, और
  - (ii) जो दूसरी अनुसची में विनिर्दिष्ट प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को समर्थन करते हैं ।
- (च) अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है किन्तु उन अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ डोंगे जो उनके लिए अधिनियम में क्रमश: दिए गए हैं।

(1)

#### 3. पदों का प्रवर्ग .-

- (1) (क) बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जाएगा : --
  - (1) समूह "क" अधिकारी
    - (i) स्केल 1 (सहायक प्रबंधक)-कनिष्ठ प्रबंधन
    - (ii) स्केल 11 (प्रबंधक)-मध्य प्रबंधन
    - (iii) रकेल III (ज्येष्ठ प्रबंधक)-मध्य प्रबंधन
    - (iv) स्केल IV (मुख्य प्रबंधक)-ज्येष्ठ प्रबंधन
    - (v) स्केल V (सहायक महाप्रबंधक)-ज्येष्ठ प्रबंधन

स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, समनुदेशित कार्य या कृत्यों और अधिकारी के स्केल पर निर्भर करते हुए, अधिकारियों को अध्यक्ष द्वारा कृत्यकारी रूप से शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक या महाप्रबंधक के तौर पर पदाभिहित किया जा सकेगा।

- (ख) समूह "ख" कार्यालय सहायकों से मिलकर बनेगा (बहु प्रयोजनीय)
- (ग) समूह "ग" कार्यालय परिचरों से मिलकर बनेगा (बहु प्रयोजनीय)
- (2) प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के समूह "क" समूह "ख" और समूह "ग" में इन नियमों की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित होंगे ।

### 4. पदों का सृजन,-

बोर्ड समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उतनी अपेक्षित संख्या में पदों का सृजन कर सकेगा जितना समय समय पर इन नियमों की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए।

#### 5. रिक्तियां-

बोर्ड समय-समयं पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में सीधी भर्ती या प्रोन्नित से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित कर सकेगा।

# रिक्तियों का भरा जाना-

- (i) बोर्ड द्वारा नियम 5 के अधीन अवधारित सभी रिक्तियां इन नियमों और इन नियमों की तीसरी अनुसूची में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार प्रोन्नित या सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी ;
- (ii) रकेल iv और रकेल v ज्येष्ठ प्रबंधन के अधिकारी समर्थक बैंक के विनिश्चय के अनुसार उसी समर्थक बैंक द्वारा समर्थित किए गए किसी अन्य प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में महाप्रबंधक के रूप में पदस्थापना किए जाने के दायी होंगे ।

# नियुक्ति प्राधिकारी-

अधिकारियों के संबंध में अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा और कर्मचारियों के संबंध में महाप्रबंधक नियुक्ति प्राधिकारी होगा, यदि ऐसा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए :

परंतु यदि महाप्रबंधक के पद पर कोई पदधारी नहीं है तो कर्मचारियों के संबंध में भी अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।

# सीधी भर्ती-

अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की रिक्तियां, प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक द्वारा इन नियमों की तीसरी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अध्यक्षीन रहते हुए भरी जाएगी ।

# 9. सीधी भर्ती के लिए अभिकरण-

- (i) समूह 'ग' कर्मचारियों से भिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों पर लिखित परीक्षा द्वारा उम्मीदवारों के चयन के लिए सीधी भर्ती बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान या समर्थक बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अभिकरण को सौंपी जाएगी ।
- (ii) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान या अनुमोदित अभिकरण नियम 8 में यथा अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा तथा लिखित परीक्षा में अर्हता उम्मीदवारों की सूची संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भेजेगा ।

# 10. समूह 'ग' पदों के लिए भर्ती-

समूह 'ग' के पद प्रादेशिक ग्रामीण बैंक द्वारा रोजगार कार्यालय, सैनिक बोर्ड या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों या व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्ग के कल्याण का ध्यान रखने वाले अन्य ऐसे अभिकरणों के प्रतिनिर्देश से भरे जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, जिसकी पद भरने वाले प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पर अधिकारिता है:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा ।

# 11. समिति का गठन और कृत्य-

- (i) बोर्ड तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट पदों पर चयन या प्रोन्नित के प्रयोजन की अनुशंसा के लिए समय समय पर, तीसरी अनुसूची में प्रत्येक पद के नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली समिति का गठन कर सकेगा।
  - (ii) समिति उतनी अवधि तक कार्य करेंगी जितनी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए ।
  - (iii) समिति, इन नियमों की तीसरी अनुसूची में उल्लिखित पदों पर, उस अनुसूची में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, मर्ती या प्रोत्नित के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगी।

# 12. आरक्षण -

इन नियमों का अनुसरण करते समय, प्रावेशिक ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में सुसंगत होने की सीमा तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति के उपबंध लागू होंगे।

13. निर्वचन की शक्ति-

इन नियमों के निर्वचन की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित होगी और केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से ऐसे प्रशासनिक अनुदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने या उनके कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक हों।

पहली अनुसूची (नियम 3 देखें) प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में पदों का प्रवर्ग

क्रम	अधिकारियों और	पद का वर्णन	पदनाम
संख्यांक	कर्मचारियों का		
	वर्गीकरण		
(1)	(2)	(3)	(4)
1	समूह 'क'	कनिष्ठ प्रबंधन अधिकारी (स्केल I)	सहायक प्रबंधक
2	समूह 'क'	मध्य प्रबंधन अधिकारी (स्केल II )	प्रबंधक
3	समूह 'क'	मध्य प्रबंधन अधिकारी (स्केल III)	ज्येष्ठ प्रबंधक
4	-समूह 'क'	ज्येष्ठ प्रबंधन अधिकारी (स्केल IV)	मुख्य प्रबंधक
5	समूह 'क'	ज्येष्ठ प्रबंधन अधिकारी (स्केल V)	सहायक महाप्रबंधक
6	समूह 'ख'	कार्यालय सहायक	कार्यालय सहायक
		(बहुप्रयोजनीयीय)	(बहुप्रयोजनीयीय)
7	समूह 'ग'	कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीयीय)	कार्यालय परिचर
			(बहुप्रयोजनीयीय)

# दूसरी अनुसूची (नियम 2ङ देखें) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों और उनके समर्थक बैंकों की सूची

		f 3	The second secon
क्रम	प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का नाम	समर्थक बैंक	राज्य
संख्यांक			
(1)	(2)	(3)	(4)
1	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	आंध्रा बैंक	आंध्र प्रदेश
2	सप्तगिरी ग्रामीण बैंक	इंडियन बैंक	आंध्र प्रदेश
3	दक्कन ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
4	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	आंध्र प्रदेश
5	आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक	आंध्र प्रदेश
6	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	अरुणाचल प्रदेश
7	लांगपी देहांगी रुरल बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	असम
8	असम ग्रामीण विकास बैंक	यूनाईटेड बैंक ऑफ	असम
		. इंडिया	
9	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	बिहार
10	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	बिहार
11	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक	भारतीय स्टेट बैंक	बिहार
12	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	बिहार
13	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	छत्तीसगढ
14	दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक	देना बैंक	छत्तीसगढ्
15	छत्तीसगढ् ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	छत्तीसगढ
16	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	गुजरात
17	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	देना बैंक	गुजरात
18	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	रटेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	गुजरात
19	हरियाणा ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	हरियाणा
20	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक	हरियाणा
21	हिमाचल देहाती बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	जम्मू-कश्मीर
22	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	हिमाचल प्रदेश
23	इलाकाई ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	हिमाचल प्रदेश
24	जे एंड के ग्रामीण बैंक	जे एंड के बैंक लि0	जम्मू-कश्मीर
25	झारखंड ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	झारखंड
26	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारतीय रटेट बैंक	झारखंड
27	प्रगति ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	कर्नाटक
28	चिकमंगलूर कोडागू ग्रामीण बैंक	कारपोरेशन बैंक	कर्नाटक
29	कृष्णा ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	कर्नाटक

30	कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कर्नाटक
31	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक	कर्नाटक
32	विश्वेश्वरैया ग्रामीण वैंक	विजया बैंक	कर्नाटक
33	साउथ मालाबार ग्रामीण वैंक	केनरा बैंक	केरल
34	नॉर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	सिडिकेट बैंक	केरल
35	शारदा ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक	मध्य प्रदेश
36	झाबुआ घार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	मध्य प्रदेश
37	नर्मदा मालबा ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	मध्य प्रदेश
38	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	मध्य प्रदेश
39	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	रटेट बैंक ऑफ इंदौर	मध्य प्रदेश
40	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	मध्य प्रदेश
41	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	मध्य प्रदेश
42	रीवा सीधी ग्रामीण बैंक	यूनियन बैंक ऑफ	मध्य प्रदेश
		इंडिया	
43	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	बँक ऑफ महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
44	वेनगंगा कृष्ण ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	महाराष्ट्र
45	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेंद्रल बेंक ऑफ इंडिया	महाराष्ट्र
46	मणिपुर रुरल बैंक	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	मणिपुर
47	मेघालय रूरल बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	मेघालय
48	मिजोरम रूरल बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	मिजोरम
49	नागालैंड रूरल बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	नागालैंड
50	रुशीकुल्य ग्राम्य बैंक	आंध्र बैंक	उड़ीसा
51	वैतरनी ग्राम्य वैंक	बैंक ऑफ इंडिया	उड़ीसा
52	नीलाचल ग्राम्य बैंक	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	उड़ीसा
53	उत्कल ग्राम्य बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	उड़ीसा
54	कलिंगा ग्राम्य बैंक	यूको बैंक	उड़ीसा .
55	पुदुवई भारतियार ग्राम बैंक	इंडियन बैंक	पुडुचेरी
56	सतलुज ग्रामीण बैंक	पंजाब एंड सिंध बैंक	पंजाब
57	मालवा ग्रामीण बैंक	रटेट बैंक ऑफ	पंजाब
		पटियाला	
58	पंजाब ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	पंजाब
59	बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	राजस्थान
60	मेवाड आंचलिक ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ राजस्थान	राजस्थान
61	हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	राजस्थान
62	एमजीबी ग्रामीण बैंक	रटेट बैंक ऑफ बीकानेर	राजस्थान
		एंड जयपुर	

		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
63	जयपुर थार ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	राजस्थान
64	राजस्थान ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	राजस्थान
65	पल्लवन ग्राम बैंक	इंडियन बैंक	तमिलनाड्
66	पांडयन ग्राम बैंक	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	तमिलनाडु
67	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	यूनाइटेड बैंक ऑफ	त्रिप्रा
		इंडिया	1034
68	इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक	उत्तर प्रदेश
69	बड़ीदा यूपी ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ीदा	- उत्तर प्रदेश
70	आर्यवर्त ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	उत्तर प्रदेश
71	श्रेयस ग्रामीण बैंक	केनरा वैंक	उत्तर प्रदेश
72	बलिया इटावा ग्रामीण बैंक	सेंद्रल बैंक ऑफ इंडिया	उत्तर प्रदेश
73	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	उत्तर प्रदेश
74	पूर्वीचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	उत्तर प्रदेश
75	प्रथमा बैंक	सिंडिकेट बैंक	उत्तर प्रदेश
76	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक	यूनियन बैंक ऑफ	उत्तर प्रदेश
		इंडिया	2418 2481
77	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक	. यूपी राज्य सहकारी बँक	उत्तर प्रदेश
78	नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय बैंक	वैंक ऑफ बड़ीदा	उत्तर प्रदेश
79	उत्तरांवल ग्रामीण वैंक	भारतीय स्टेट वैंक	उत्तर प्रदेश
80	उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	पश्चिमी बंगाल
81	बांगिया ग्रामीण विकास बैंक	युनाइटेड बैंक ऑफ	पश्चिमी बंगाल
		इंडिया	3.00
82	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक	युको बैंक	पश्चिमी बंगाल
			The state of the s

.

# तीसरी अनुसूची (नियम 8 और नियम 11 देखें)

समूह "क", "ख" और "ग" पदों के अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न प्रवर्गों की नियुक्ति करने के लिए चाहे सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नित द्वारा निम्निलिखित रूप में प्रभावी होगी :--

भाग -1 समूह "क" भर्ती और प्रोन्नति

Count	_		<b>जारी (स्केल 1)</b>
(क)	A PARTY	पद का	कनिष्ठ प्रबंधन अधिकारी (स्केल 1)
		नाम	
(편)		ALVER TONE	समूह "क"
(T)		~	50% सीधी भर्ती द्वारा और समूह 'ख' से 50% प्रोन्नित द्वारा
		The state of the s	
(31)		सीधी भती हेतु	
	(i)	आयु	18 वर्ष से ऊपर किन्तु 28 वर्ष से नीचे (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों या अन्य आरक्षित प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिलनीय)
	(ii)	न्यूनतम अर्हता	(i) किसी विद्या शाखा में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या इसके समतुल्य । उन अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी, जो कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, चिकित्सा विज्ञान, कृषि इंजीनियरी, मत्स्य पालन, कृषि विपणन और सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंध, विधि, अर्थशास्त्र और लेखां विद्या में डिग्री रखता है; (ii) स्थानीय भाषा में निपुणता, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए; (iii) कम्प्यूटर जानकारी या ज्ञान की अतिरिक्त अर्हता होगी
	(iii)	चयन प्रक्रिया	चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा जो निम्नलिखित है- लिखित परीक्षा- 70 अंक
		(i) (ii)	(ख) वर्गीकरण (ग) नियुक्ति की पद्धति (अ) सीधी भर्ती हेतु (ii) आयु  (iii) न्यूनतम अर्हता

	साक्षात्कार - 30 अंक कुल अंक - 100 अंक लिखित परीक्षा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्था या किसी प्रतिभू बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी ।
	लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे (क) तर्क शक्ति (ख) सांख्यिकी अभिरुचि (ग) सामान्य ज्ञान और (घ) सामान्य अंग्रेजी या हिन्दी ।
	अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में न्यूनतम ४०% अंक प्राप्त करने पर साक्षात्कार के लिए अर्हक होगा । अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, लिखित परीक्षा में न्यूनतम ३५% अंक प्राप्त करने पर साक्षात्कार के लिए अर्हक होगा ।
	वे सभी अभ्यर्थी, जो लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अईता के लिए निर्धारित अंक प्राप्त किए हैं योग्यता के क्रम में 1: 3 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा ।
	प्रत्येक प्रवर्ग में सफल अभ्यर्थियों की योग्यता सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अनुपालन के आधार पर पृथक रूप से बनाई जाएगी ।
(iv) योग्यता सूची तैयार करना	कनिष्ठ प्रबंधन अधिकारी (रकंल 1) की नियुक्ति के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अनुपालन में उनकी श्रेणी के आधार जो सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए पृथक रूप से तैयार की जाएगी।
	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भर्ती के लिए सूचीबद्ध की जाएनी जो अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी । इसके अतिरिक्त, चयनित अभ्यर्थियों का अतिरिक्त पैनल अधिसूचित रिक्तियों की 50% से अधिक नहीं होंगी जो अत्यावश्यकता की पूर्ति के लिए प्रत्येक प्रवर्ग में दो अभ्यर्थियों की न्यूनतम सहित बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जा सकेंगी।
(आ) प्रोन्नित हेतु	

(i)	प्रोन्नति की पद्धति	प्रोन्नित के लिए रिक्तियां को 50% साधारण चैनल के अधीन और 50% फास्ट ट्रैक चैनल के अधीन नीचे दी गई पात्रता तथा चयन प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा -
(îi)	पात्रता	प्रोन्नित ऐसे कर्मचारियों में से की जाएगी जो पूर्णकालिक और नियमित आधार पर कार्यालय सहायक (बहु प्रयोजन) का पद धारण करता है।
		साधारण चैनल
		पूर्णकालिक और नियमित आधार पर कार्यालय सहायक (बहु प्रयोजन) के रूप में दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए । प्रोन्नित के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के अनुसार न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की पहली अप्रैल को गणना में ली जाएगी जिसमें पद रिक्त होने वाला है या वास्तव में रिक्त हो गया है । एक वर्ष की सेवा के पात्रता मापदंड में छूट ऐसे अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिन्होंने भारत की बैंकिंग और वित्त संस्था, जूनियर एसोसिएट आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स से उत्तीर्ण किया है और ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में, एक और वर्ष जो भारतीय की बैंकिंग और वित्त संस्था सर्टिफाइड एसोसिएट आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स उत्तीर्ण की है। तथाि, ऐसी छूट सेवा अविध में प्रवेश के दौरान केवल एक बार दी जाएगी ।
		परंतु यह कि ऐसे किसी कर्मचारी पर प्रोन्नित के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसकी फीडर ग्रेड पद पर पुष्टि न हो गई हो ।
		विचाराधीन क्षेत्र
		रिक्तियों की संख्या का तीन गुणा जिसके अंतर्गत पुनरावृत्ति भी सम्मिलित है ।
		स्पष्टीकरण
		<ol> <li>साधारण चैनल के अधीन रिक्तियां फास्ट ट्रैक चैनल के अधीन रिक्तियों को भरने के पश्चात् भरी जाएंगी ।</li> </ol>
		2. वे कर्मचारी जो साधारण चैनल के अधीन पात्र हैं फास्ट ट्रैक

		चैनल के अधीन भी विचार किए जाएंगे ।
		3. वे दोनों चैनलों के लिए साधारण लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से होंगे ।
		फास्ट ट्रैक चैनल:
		पूर्णकालिक और नियमित आधार पर कार्यांलय सहायक (बहु प्रयोजन) के रूप में छह वर्ष का अनुभव होना चाहिए और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए । प्रोन्नित के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के अनुसार न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की पहली अप्रैल को गणना में ली जाएगी जिसमें पद रिक्त होने वाला है या वास्तव में रिक्त हो गया है । एक वर्ष की सेवा के पात्रता मापवंड में छूट ऐसे अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिन्होंने भारत की बैंकिंग और वित्त संस्था, जूनियर एसोसिएट आंफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स से उत्तीर्ण किया है और ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में, एक और वर्ष जो भारतीय की बैंकिंग और वित्त संस्था, सर्टिफाइड एसोसिएट आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स उत्तीर्ण की है। तथापि, ऐसी छूट सेवा अवधि में प्रवेश के दौरान केवल एक बार दी जाएगी।
		परंतु यह कि ऐसे किसी कर्मचारी पर प्रोन्ति के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसकी फीडर ग्रेंड पद पर पुष्टि न हो गई हो ।
		विचाराधीन क्षेत्र सभी पात्र कर्मचारी ।
(iii)	चयन प्रक्रिया	चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अंतिम पांच वर्ष की कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा, जिनका अंक प्रभाजन नीचे दिया गया है - लिखित परीक्षा- 50 अंक साक्षात्कार - 20 अंक अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट - 30 अंक
		कुल अंक - 100 अंक अभ्यर्थी से सामान्य अंग्रेजी या हिन्दी और सामान्य बैंकिंग जानकारी की सम्मिलित परीक्षा की लिखित परीक्षा में भाग लेने

			10 THE POST OFFI	
				की अपेक्षा की जाएगी लिखित परीक्षा के आबंदित किए गए 50 अंकों को और विभाजित किया जाएगा जो निम्नलिखित हैं- (i) सामान्य अंग्रेजी या हिन्दी - 20 अंक और (ii) सामान्य बैंकिंग जानकारी- 30 अंक कुल अंक - 50 अंक
		(iv)	योग्यता सूची तैयार करना	साधारण चैनल लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के कुल 50 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अर्हता होगी ।  प्रोन्नित के लिए सफल अभ्यर्थियों का चयन ऊपर से प्रारंभ होकर ज्येष्ठता के घटते हुए क्रम में बनाई जाएगी और इस चैनल के लिए अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या के समतुल्य कुल 50 प्रतिशत तक उक्त न्यूनतम अर्हता स्कोर चयन करने के लिए उनको प्राप्त करना होगा ।  फास्ट ट्रैक चैनल लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के कुल 60 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अर्हता होगी ।  चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर होगा जो अभ्यर्थियों को रिक्तियों की संख्या के विस्तार को योग्यता के घटते हुए क्रम में रखा जाएगा ।  इस चैनल के अधीन रिक्तियों जो अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या के अच्यन के कारण भरने से छूट गई हैं समाप्त हो जाएंगी और सामान्य चैनल से भरी जाएंगी ।
	(ঘ)		परस्पर ज्येष्ठता	परस्पर ज्येष्टता फीडर पदों के सामान्य चैनल या फास्ट ट्रैक चैनल के द्वारा चयनित सभी सूचीबद्ध अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता अपरिवर्तनीय होगी ।
	(ঙ)		साक्षात्कार के लिए	समिति निम्नलिखित से मिलकर होगी, अर्थात् : (1) संबद्ध प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष- अध्यक्ष

-	_				
				समिति का	(2) प्रायोजित बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक - सदस्य
				गटन	(3) राष्ट्रीय बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक- सदस्य
					टिप्पण यदि समिति का कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या
			1		अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो बोर्ड अनुसूचित जाति या
					अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को अतिरिक्त सदस्य के
	0.00	(		20.0.11	रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।
		(리)		सीधी भर्ती और	पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा ।
				प्रोन्तति के	
				लिए पैनल	
	200			की वैधता	
	П	()			अधिकारी (स्केल ॥)
	34	(क)		पद का नाम	मध्य प्रबंधन अधिकारी (स्केल 11)
8		(ख)		वर्गीकरण	समृह "क"
		V.E.V.		नियुक्ति	
				की पद्धति	सीधी भर्ती द्वारा 25 % (जिसमें विशेषज्ञ काडर, जो सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, कोष, विधि, विपणन, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि
					से 10 % और अनुभव प्राप्त अधिकारियों से 15%) और 75%
					प्रोन्नित द्वारा ।
		(अ)		सीधी भर्ती द	
			(i)	आयु ः	21 वर्ष से ऊपर किन्तु 32 वर्ष से नीचे (केन्द्रीय सरकार द्वारा
					समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार
					अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों या अन्य आरक्षित
					प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिलनीय)
	124			न्यूनतम	(I) सूचना प्रौद्योगिकी
				अर्हता और	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रानिक/संचार/कंप्यूटर
				पात्रता	विज्ञान/सुवना प्रौद्योगिकी में डिग्री या कुल योग का न्यूनतम
	14.	27			50% अंक सहित या उसके समतूल्य ;
					वांछनीय अनुभव :
					एएसपी, पीएचपी, सी++ , जावा, वीबी, वीसी, आसीची आदि में प्रमाणपन्त्र ।
					अनुभव : एक वर्ष

			THE REAL PROPERTY.	(II) चार्टर्ड अकाउंटेट
	534			अनुभव : एक वर्ष
				(III) विधि अधिकारी
				किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या कुल योग का न्यूनतम 50% अंक सहित या उसके समतुल्य ;
				अनुभव :
				अधिवक्ता के रूप में दो वर्ष या बैंक या वित्तीय संस्थानों में विधि अधिकारी के रूप में दो वर्ष से अन्यून काम किया हो ।
				(IV) कोषागार प्रबंधक
				अभ्यर्थी चार्टर्ड अकाउंटेंट या ख्याति प्राप्त संस्था से वित्त में एमबीए होगा ।
		7		अनुभव : एक वर्ष
				(V) विपणन अधिकारी
				ख्याति प्राप्त किसी संस्थान से विषणन में एमबीए
		- =		अनुभव : एक वर्ष
				(VI) कृषि अधिकारी
				किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विद्या शाखा में कृषि, बागवानी, छेयरी, पशुपालन, वानिकी, चिकित्सा विज्ञान, कृषि इंजीनियरी, मत्स्य पालन में डिग्री रखता है या कुल योग का न्यूनतम 50% अंक सहित उसके समतुल्य;
				अनुमव : दो वर्ष
				(VII) सामान्य बैंकिंग अधिकारी
				किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या शाखा में कुल योग का न्यूनतम 50% अंक सहित या उसके समतुल्य
				डिग्री रखता है । उन अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी जो बैंकिंग, वित्त, विषणन, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन,
				चिकित्सा विज्ञान, कृषि इंजीनियरी, मत्स्य पालन, कृषि विपणन और सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंध, विधि, अर्थशास्त्र और
				लेखा विद्या में डिग्री/डिप्लोमा रखता है ;
				अनुभव- बैंक या वित्तीय संस्थान् में अधिकारी के रूप में, दो वर्ष
		(iii)	चयन	अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षातकार के आधार

		प्रक्रिया	पर होगा । लिखित परीक्षा बैंक कार्मिक चयन संस्था या किसी प्रायोजित बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी ।
			अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने पर साक्षात्कार के लिए अर्हक होगा । अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने पर साक्षात्कार के लिए अर्हक होगा ।
			वे सभी अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित अंक प्राप्त किए हैं योग्यता के क्रम में 1: 3 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा ।
			प्रत्येक प्रवर्ग में सफल अभ्यर्थियों की योग्यता सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अनुपालन के आधार पर पृथक रूप से बनाई जाएगी ।
	(iv)	योग्यता सूची तैयार करना	मध्य प्रबंधन अधिकारी (स्केल II) की नियुक्ति के लिए सफल अम्यर्थियों की सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अनुपालन में उनकी श्रेणी के आधार पर, जो सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए पृथक रूप से तैयार की जाएगी I
			चयनित अभ्यर्थियों की संख्या भर्ती के लिए सूचीबद्ध की जाएगी जो अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी । इसके अतिरिक्त, चयनित अभ्यर्थियों का अतिरिक्त पैनल अधिसूचित रिक्तियों की 50% से अधिक नहीं होंगी जो अत्यावश्यकता की पूर्ति के लिए तैयार की प्रत्येक प्रवर्ग में दो अभ्यर्थियों की न्यूनतम सहित बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जा सकेंगी।
(आ)	(i)	प्रोन्नित हेतु प्रोन्नित की पद्धति	प्रोन्नित के लिए रिक्तियां को 50% साधारण चैनल के अधीन और 50% फास्ट ट्रैंक चैनल के अधीन नीचे दी गई पात्रता तथा चयन प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा -
	(îi)	पात्रता	प्रोन्नति ऐसे अधिकारियों में से की जाएगी जो पूर्णकालिक और नियमित आधार पर, कनिष्ठ प्रबंधन अधिकारी (स्केल 1) पद धारण किए हुए हैं।

# साधारण चैनल

पूर्णकालिक और नियमित आधार पर किनष्ठ प्रबंधन अधिकारी (स्केल I) के रूप में दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए I प्रोन्नित के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के अनुसार न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की पहली अप्रैल को गणना में ली जाएगी जिसमें पद रिक्त होने वाला है या वारतव में रिक्त हो गया है I एक वर्ष की सेवा के पात्रता मापदंड में छूट ऐसे अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिन्होंने मारत की बैंकिंग और वित्त संस्था, जूनियर एसोसिएट आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स उत्तीर्ण किया है और ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में, एक और वर्ष जो भारतीय की बैंकिंग और वित्त संस्था सर्टिफाइड एसोसिएट आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स उत्तीर्ण की है। तथापि, ऐसी छूट सेवा अविध में प्रवेश के दौरान केवल एक बार दी जाएगी I

परंतु यह कि ऐसे किसी कर्मचारी पर प्रोन्नित के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसकी फीडर ग्रेंड पद पर पुष्टि न हो गई हों।

# विचाराधीन क्षेत्र

रिक्तियों की संख्या का तीन गुणा जिसके अंतर्गत पुनरावृत्ति भी सम्मिलित है।

# रपष्टीकरण

- साधारण चैनल के अधीन रिक्तियां फास्ट ट्रैक चैनल के अधीन रिक्तियों को भरने के पश्चात् भरी जाएंगी ।
- 2. वे कर्मचारी जो साधारण चैनल के अधीन पात्र हैं फास्ट ट्रैक चैनल के अधीन भी विचार किए जाएंगे।
- 3. वहां दोनों चैनलों के लिए सामान्य लिखित परीक्षा और साक्षातकार से होंगे।

फास्ट ट्रैक चैनल

कनिष्ठ प्रबंधन अधिकारी (स्केल ।) छह वर्ष के लिए होगा ।

		प्रोन्नित के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के अनुसार न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की पहली अप्रैल को गणना में ली जाएगी जिसमें पद रिक्त होने वाला है या वास्तव में रिक्त हो गया है। एक वर्ष की सेवा के पात्रता मापदंड में छूट ऐसे अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिन्होंने भारत की बैंकिंग और वित्त संस्था, जूनियर एसोसिएट आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स उत्तीर्ण किया है और ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में, एक और वर्ष जो भारतीय की बैंकिंग और वित्त संस्था, सर्टिफाइड एसोसिएट आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स उत्तीर्ण की है। तथापि, ऐसी छूट सेवा अविध में प्रवेश के दौरान केवल एक बार दी जाएगी।
		विचाराधीन क्षेत्र
(iii)	चयन प्रक्रिया	सभी पात्र कर्मचारी । चयन, लिखित परीक्षा, साक्षात्फार में कार्य निष्पादन के आघार पर और गत पांच वर्षों के लिए अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर नीचें दिए गए अंकों के प्रभाजन के अनुसार किया जाएगा- लिखित परीक्षा- 50 अंक साक्षात्कार - 20 अंक अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट - 30 अंक कुल अंक - 100 अंक
		लिखित परीक्षा में आबंटित किए गए 50 अंकों को और विभाजित किया जाएगा जो निम्नलिखित हैं- (i) भाग "क" - 25 अंक (ii) भाग "ख"- 25 अंक
		अभ्यर्थियों को लिखित पत्रक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी जो दो भागों में होगी अर्थात् भाग (क) में बैंककारी विधि और बैंककारी प्रक्रिया तथा भाग (ख) में ऋण नीति, ऋण प्रबंधन जिनमें पूर्विकता सेक्टर अर्थशास्त्र और प्रबंध आते हैं, सम्मिलित होगी।

	(iv)	योग्यता सूची तैयार करना	लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के कुल 50 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अईता होगी ।  प्रोन्नित के लिए सफल अभ्यर्थियों का चयन ऊपर से प्रारंभ होकर ज्येष्टता के घटते हुए क्रम में बनाई जाएगी और इस चैनल के लिए अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या के समतुल्य कुल 50 प्रतिशत अंकों के उक्त न्यूनतम अईता स्कोर चयन करने के लिए उनको प्राप्त करना होगा ।  फास्ट ट्रैंक चैनल  अभ्यर्थियों का चयन समिति द्वारा योग्यता के क्रम में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा ।  लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के कुल 60 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अईता होगी । चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर होगा जो अभ्यर्थियों को रिक्तियों की संख्या के विस्तार को घटते हुए क्रम में रखा जाएगा ।  इस चैनल के अधीन रिक्तियां जो अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या के अचयन के कारण भरने से छूट गई हैं समाप्त हो जाएंगी और सामान्य चैनल से भरी जाएंगी ।
(घ)		परस्पर ज्येष्ठता	परस्पर ज्येष्ठता फीडर पदों के सामान्य चैनल या फास्ट ट्रैक चैनल के द्वारा चयनित सभी सूचीबद्ध अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता अपरिवर्तनीय होगी ।
(8)		साक्षात्कार के लिए समिति का गठन	समिति निम्मिलिखित से मिलकर होगी, अर्थात् : (1) संबद्ध प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष अध्यक्ष (2) प्रायोजित बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक - सदस्य (3) राष्ट्रीय बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक सदस्य  टिप्पण यदि समिति का कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या

11-61	5 3(11)]			
				अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो बोर्ड अनुसूचित जाति या
				अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को अतिरिक्त सदस्य के
				अनुसूचित जनजात के किस जावर का कार्य
				रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।
	E 434	7.51		
	(핍)		सीधी भर्ती	पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा ।
4.0	(50)		और	
			प्रोन्ति के	
			लिए पैनल	
			की वैधता	
			का वसता	
				0 0 (-> 111)
III			मध्य प्रवधन	अधिकारी (स्केल III)
	(क)		पद का	मध्य प्रबंधन अधिकारी (स्केल ॥)
			नाम	
	(電)		वर्गीकरण	समृह "क"
-	(ग)		नियुक्ति	10% सीधी भर्ती द्वारा और 90% प्रोन्नित द्वारा ।
	(.1)		की पद्धति	
	face)		सीधी मर्ती व	- Carr
	(अ)			40 वर्ष से नीचे (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी
		(i)	आयु	किए गए अनुदेशो/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों
		186		/अनुसूचित जनजातियों या अन्य आरक्षित प्रवर्गों के अभ्यर्थियों
1	1			/अनुसूचित जनजातिया या अन्य आरावरा अयना या अन्य
		A STATE		की दशा में शिथिलनीय)
				A
		(ii)	न्यूनतम	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी माध्यम से डिग्री
		10.57	अर्हता और	या कुल योग का न्यूनतम 50% अंक सहित उसके समतुल्य ;
			पात्रता	उन अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी जो बैंकिंग, वित्त,
				विपणन, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, चिकित्सा विज्ञान,
		1163		विपणन, कृषि, बागवाना, वानका, वर्षुनावन, नवानका
				कृषि इंजीनियरी, मत्स्य पालन, कृषि विपणन और सहयोग,
				सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंध, विधि, अर्थशास्त्र और लेखा विद्या में
				डिग्री/डिप्लोगा रखता है ;
				अनुभव- किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में अधिकारी के रूप में,
-				
			o die sal	5 वर्ष का अनुभव
		(iii	चयन	अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार
		lin	प्रक्रिया	गुज होगा । ब्रिफिट्ट परीक्षा बैंक कार्मिक चयन संस्था या किसी
			Misteria	प्रायोजित बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अभिकरण द्वारा
				संचालित की जाएगी ।
				Mainten and
				अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने पर
				अन्यया कार्या नरामा । रूपा कर्

साक्षात्कार के लिए अर्हक होगा । अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने पर साक्षात्कार के लिए अर्हक होगा ।

वे सभी अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित अंक प्राप्त किए हैं योग्यता के क्रम में 1: 3 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

प्रत्येक प्रवर्ग में सफल-अभ्यर्थियों की योग्यता सूची लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अनुपालन के आधार पर पृथक रूप से बनाई जाएगी ।

# साधारण यैनल

मध्यस्तरीय प्रबंध अधिकारी (मान 2) के रूप में सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए । प्रोन्नित के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के रूप में न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की जिसमें रिक्ति का उद्भूत होना प्रत्याशित है या वास्तव में उद्भूत हो चुकी है, 1 अप्रैल को संगणित की जाएगी । एक वर्ष सेवा के पात्रता मानदंड में शिथिलीकरण ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के भारतीय बैंकर्स संस्थान के किन्छ सहयुक्त (जेएआईआईबी) को पास कर चुके हैं तथा एक वर्ष और का शिथिलीकरण ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में जो भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित सहयुक्त (सीएआईआईबी) को पास कर चुके हैं, दिया जाएगा । तथापि, ऐसा शिथिलीकरण संपूर्ण सेवा अविध के दौरान केवल एक बार उपलब्ध होगा :

परंतु प्रोन्नित के लिए कोई अधिकारी तब तक विचारित नहीं होगा जब तक कि वह फीडर श्रेणी पद पर पुष्ट नहीं कर दिया जाता ।

# विचासधीन क्षेत्र

पुनरावर्तको सहित रिक्तियों की संख्या का तीन गुना । स्पष्टीकरण--

- (1) सामान्य प्रणाली के अधीन रिक्तियां, त्वरित प्रणाली के अधीन रिक्तियों को भरने के पश्चात, भरी जाएगी ।
- (2) ऐसे अधिकारियों पर जो सामान्य प्रणाली के अधीन पात्र हैं, त्वरित प्रणाली के अधीन भी विचार किया जाएगा ।
- (3) त्वरित प्रणाली के लिए लिखित परीक्षा होगी।

# फारट ट्रैक चैनल :

मध्यस्तरीय प्रबंध अधिकारी (मान 2) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए । प्रोन्नित के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के रूप में न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की जिसमें रिक्ति का उद्भृत होना प्रत्याशित है या वास्तव में उद्भृत हो चुकी है, 1 अप्रैल को संगणित की जाएगी । एक वर्ष सेवा के पात्रता मानदंड में शिथिलीकरण ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के भारतीय बैंकर्स संस्थान के कनिष्ट सहयुक्त (जेएआईआईबी) को पास कर चुके हैं तथा

		एक वर्ष और का शिथिलीकरण ऐसे अम्यर्थियों की दशा में जो भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के मारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित सहयुक्त (सीएआईआईबी) को पास कर चुके हैं, दिया जाएगा । तथापि, ऐसा शिथिलीकरण संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान केवल एक बार उपलब्ध होगा : परंतु प्रोन्नित के लिए कोई अधिकारी तब तक विचारित नहीं होगा जब तक कि वह फीडर श्रेणी पद पर पुष्ट नहीं कर दिया जाता ।
		विचाराधीन क्षेत्र समस्त पात्र अधिकारी ।
(iii)	चयन प्रक्रिया	साधारण चैनल चयन, साक्षात्कार में और पूर्ववर्ती छह वर्षों के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में नीचे दिए गए अंकों की श्रेणी के अनुसार निष्पादन के आधार पर होगा :
		साक्षारकार : 40 अंक निष्पादन मृत्यांकन रिपोर्टे : 60 अंक
		योग : 100 अंक साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हक अंक 50 प्रतिशत होंगे ।
		पूर्ववर्ती छह वर्षों के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों पर, प्रोन्नित के लिए दिए जाने वाले अंकों के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा । निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में भी न्यूनतम अर्हक अंक 50 प्रतिशत होंगे ।
		फास्ट ट्रैक चैनल
		चयन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में और नीचे दिए गए अंकों की श्रेणी के अनुसार पूर्ववर्ती छह वर्षों के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर होंगा :
		लिखित परीक्षा : 50 अंक
		साक्षात्कार : 20 अंक
		निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टे : 30 अंक
		योग : 100 अंक
	Section Figure	लिखित परीक्षा को आबंदित 50 अंक निम्नलिखित प्रकार से

		- A-A-XX
		पुनः विभाजित होंगे :-
A PLANE		भाग 'क' : 25 अंक
		भाग 'ख' : 25 अंक
		अभ्यर्थियों से निम्नलिखित दो भागों से मिलकर बनने वाली किसी लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी, अर्थात् :-
		भाग (क) बैंकिंग विधि और बैंकिंग पद्धति से समाविष्ट ; और भाग (ख) पूर्विकता सेक्टर, अर्थशास्त्र और प्रबंधन सहित प्रत्यय नीति, प्रत्यय प्रबंधन से समाविष्ट ।
(iv)	योग्यता	साधारण चैनल :
	सूची का तैयार किया जाना	लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टी के योग का 50 प्रतिशत, न्यूनतम अर्हक अंक होंगे ।
		प्रोत्निति के लिए सफल अम्यर्थियों का चयन इस प्रणाली के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के समान, ज्येष्ठता क्रम में उपर से आरंभ होने वाले नीये की ओर जाते हुए किया जाएगा और योग के 50 प्रतिशत उक्त न्यूनतम अर्हक अंक पाने वालों का चयन किया जाएगा।
		फास्ट द्रैक चैनल :
		अभ्यर्थियों का चयन, समिति द्वारा लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर योग्यता के क्रम में किया जाएगा ।
		लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में योग का न्यूनतम कटआफ अंक, 60 प्रतिशत होगा । चयन, रिक्तियों की संख्या तक योग्यता के अवरोही क्रम में अभ्यर्थियों को रखते हुए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में प्राप्त किए गए कुल अंकों पर आधारित होगा ।
		इस प्रणाली के अधीन रिक्तियां, जो अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या के अचयनित होने के कारण भरने से शेष रह गई हैं, व्यपगत हो जाएगी और सामान्य प्रणाली के द्वारा भरी जाएंगी।
(日)	परस्पर ज्येष्टता	उनके फीडर पदों पर सामान्य प्रणाली या त्यरित प्रणाली के माध्यम से चयनित सभी पैनलित अधिकारियों की परस्पर ज्येष्टता अपरिवर्तित रहेगी ।

	(3)		साक्षात्कार के लिए समिति की संस्थना	समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :- (1) संबद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष - अध्यक्ष (2) प्रायोजक बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक - सदस्य (3) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक - सदस्य टिप्पण : यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कोई सदस्य नहीं हैं तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त पद के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।
	(च)		सीधी भर्ती के लिए और प्रोन्नित के लिए पैनल की विधिमान्यता	पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।
IV				प्रवंध अधिकारी (स्केल 4)
	(क)		पद का नाम	ज्येष्ठ स्तरीय प्रबंध अधिकारी (मान 4)
	(ख)		वर्गीकरण	समूह 'क'
	(ग)		नियुक्ति की पद्धति	इसमें इसके पश्चात् दी गई पात्रता और चयन प्रक्रिया के अनुसार प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
	(अ)		प्रोन्नति के तिए	
		(i)	पात्रता	प्रोन्नित, मध्यस्तरीय प्रबंध अधिकारी (मान 3) के पद को चार वर्ष की अवधि के लिए नियमित आधार पर धारण करने वाले अधिकारियों में से की जाएगी । प्रोन्नित के लिए सेवा के वर्ष की संख्या के अनुसार न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की, जिसमें रिक्ति का उद्भृत होना प्रत्याशित है या वास्तव में उद्भृत हो चुकी है, 1 अप्रैल को संगणित की जाएगी । विचाराधीन क्षेत्र समस्त पात्र अधिकारी ।
		(ii)	चयन प्रक्रिया	चयन, साक्षात्कार में और पूर्ववर्ती चार वर्षों के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में संयुक्त निष्पादन के आधार पर नीचे दिए

					गए अंकों की श्रेणी के अनुसार होगा :
					साक्षात्कार : 40 अंक
					निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट : 60अंक
					योग : 100 अंक
			(iii)	योग्यता सूची का तैयार किया जाना ।	प्रोन्नति के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची, साक्षात्कार और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के संयुक्त निष्पादन के आधार पर योग्यता के क्रम में समिति द्वारा बनाई जाएगी। प्रोन्नति के लिए पैनलित किए जाने वाले चयनित अभ्यर्थियों की
					संख्या योग्यता के क्रम में अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के समान होगी ।
			(iv)	परस्पर ज्येष्टता	उनके फीडर पदों में समस्त पैनलित अधिकारियों की प्रस्पर ज्येष्टता अपवर्तित रहेगी ।
			(v)	साक्षात्कार के लिए समिति की संरचना।	समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :- (1) संबद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष - अध्यक्ष (2) प्रायोजक बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक - सदस्य (3) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक - सदस्य टिप्पण : यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जातियों या
					अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य नहीं है तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या प्रायोजक बैंक, या राष्ट्रीयकृत बैंक से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त हैसियत के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।
11.00			(vi)	पैनल की विधिमान्यता ।	पैनल एक वर्ष की एक और अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।
The same of		(आ)		प्रतिनियुक्ति के लिए	
				मानदंड	ऐसे अधिकारी जो उसी प्रायोजक बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सदृश पद धारण कर रहे हैं ।
	V				प्रबंध अधिकारी (स्केल 5)
			(i)	पद का नाम	ज्येष्ठ रत्तरीय प्रबंध अधिकारी (मान 5)

-	NAME OF TAXABLE PARTY.	
(ii)	वर्गीकरण	समूह 'क'
(iii)	नियुक्ति की पद्धति	इसमें इसके पश्चात् दी गई पात्रता और चयन प्रक्रिया के अनुसार प्रोन्नित द्वारा ।
(iv)	पात्रता	प्रोन्नित, ज्येष्ठ स्तरीय प्रबंध अधिकारी (मान 4) के पद को तीन वर्ष की अविध के लिए नियमित आधार पर धारण करने वाले अधिकारियों में से की जाएगी । प्रोन्तित के लिए सेवा के वर्ष की संख्या के अनुसार न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की, जिसमें रिक्ति का उद्भृत होना प्रत्याशित है या वास्तव में उद्भृत हो चुकी है, 1 अप्रैल को संगणित की जाएगी । विचाराधीन क्षेत्र समस्त पात्र अधिकारी ।
(v)	चयन प्रक्रिया	चयन, साक्षात्कार में और पूर्ववर्ती छह वर्षों के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में संयुक्त निष्पादन के आधार पर नीचे दिए गए अंकों की श्रेणी के अनुसार होगा : साक्षात्कार : 40 अंक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें : 60 अंक योग : 100 अंक
(vi)	योग्यता सूची का तैयार किया जाना ।	प्रोन्नित के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची साक्षात्कार और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के संयुक्त निष्पादन के आधार पर योग्यता के क्रम में समिति द्वारा बनाई जाएगी । प्रोन्नित के लिए पैनलित किए जाने वाले चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, योग्यता के क्रम में अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के समान होगी ।
(vii)	परस्पर ज्येष्ठता	उनके फीडर पदों में समस्त पैनलित अधिकारियों की परस्पर ज्येष्टता अपवर्तित रहेगी ।

(viii)		समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-
	संरचना ।	(1) प्रायोजक बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खंड का महाप्रबंधक - अध्यक्ष
		(2) प्रायोजक बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला उसी प्रायोजक बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक अध्यक्ष - सदस्य
		(3) महाप्रबंधक की पंक्ति से अन्यून राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य
		टिप्पण : यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य नहीं है तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या प्रायोजक बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त हैसियत के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।
(ix)	पैनल विधिमान्य ।	 पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

टिप्पण : 1. इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पूर्व प्रोन्नित के लिए पात्र पदधारी, प्रोन्नित हेतु विचार किए जाने के लिए बने रहेंगे ।

2. ऐसे पदधारी की सेवा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व प्रोन्नित के लिए पात्र पदों को धारण कर रहे हैं, प्रोन्नित के प्रयोजन के लिए संगणित किए जाने के लिए बनी रहेगी ।

# भाग 2- समूह "ख" भर्ती और प्रोन्नति

			The second section of the last section of the
4-1	काया		
		The second secon	कार्यालय सहायक (बहुप्रयोजनीय)
40.00	1		समूह "ख"
(ग)			75% सीधी भर्ती द्वारा और 25% प्रोन्नित द्वारा
(अ)		ILLUSTED STATE STATES	
		हेतु :	
	(i)	आयु	18 वर्ष और 28 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में
			समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार
			अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या विशेष प्रवर्गी
			के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिलनीय आयु)
	(ii)	न्यनतम	(i) किसी विद्या शाखा में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से
	15.57	अर्हता और	रनातक डिग्री या इसके समतुल्य ;
	100	पात्रता	
			(ii) (क) आवश्यक : स्थानीय माषा में निपुणता, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :
			विभिन्न देश का जार ;
			(ख) यांछनीय : कम्प्यूटर जानकारी में कुशल ।
	(iii)	चयन -	चयन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया
		प्रक्रिया	जाएगा जो निम्नलिखित प्रकार है-
116			लिखित परीक्षा- 70 अंक
			साक्षात्कार - 30 अंक
			लिखित परीक्षा, बैंकिंग कार्मिक चयम संस्थान या प्रायोजक बैंक
			द्वारा अनुमोदित किसी अन्य अभिकरण द्वारा संचालित की
			जाएगी
			तिखित परीक्षा में (क) तर्क शक्ति (ख) सांख्यिक योग्यता (ग)
			सामान्य ज्ञान और (घ) सामान्य अंग्रेजी या हिन्दी की परीक्षा
	= 1		सम्मिलित हैं।
	-28		
			अभ्यर्थी, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने पर
	(ক) (ভ) (ম)	(ফ) (ख) (ম) (জ) (ii)	(ख) वर्गीकरण (ग) नियुक्ति की पद्धति (अ) सीधी भर्ती हेतु : (i) आयु  (ii) न्यूनतम अर्हता और पात्रता

			साक्षात्कार के लिए अर्हक होगा । अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने पर साक्षात्कार के लिए अर्हक होगा ।
			वे सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने लिखित परीक्षा में न्यूजतम अर्हता अंक प्राप्त किए हैं, योग्यता के क्रम में 1: 3 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे।
			प्रत्येक प्रवर्ग के सफल अभ्यर्थियों की योग्यता सूचियां, शिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त निष्पादन के आधार पर पृथक रूप से बनाई जाएंगी ।
	(iv)	योग्यता सूची का तैयार किया जाना	कार्यालय सहायक (बहुप्रयोजनीय) की नियुक्ति के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूचियां पृथक् रूप से सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में कुल अंकों पर आधारित उनको प्रदान की गई श्रेणी के आधार पर तैयार की जाएगी।
			मर्ती के लिए पैनलित किए जाने कले चयनित अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के समान होगी। उसमें इसके अतिरिक्त ऐसी अधिसूचित रिक्तियों के जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाएं, 50 प्रतिशत से अनधिक चयनित अभ्यर्थियों का अतिरिक्त पैनल, प्रत्येक प्रवर्ग से न्यूनतम दो अभ्यर्थियों सहित अत्यावश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाएगा।
(आ)		प्रोन्नति के लिए :	
	(i)	प्रोन्नति की पद्धति	शिक्तियों का 70 प्रतिशत, सामान्य प्रणाली के अधीन फ्रोन्नितें झरा और 30 प्रतिशत त्वरित प्रणाली के अधीन इसमें इसके पश्चात् दी गई पात्रता और चयन प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा :-
	(ii)	पात्रता	प्रोन्नित, कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीय) के पद को नियमित आधार पर धारण करने वाले कर्मचारियों में से की जाएगी । साधारण यैनल कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीय) के रूप में दस वर्ष का अनुभव तथा दसवीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण की हो । प्रोन्नित के लिए

		सेवा के वर्षों की संख्या के रूप में न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की जिसमें रिक्ति का उद्भूत होना प्रत्याशित है या वास्तव में उद्भूत हो चुकी है, 1 अप्रैल को संगणित की जाएगी ।
		परंतु ऐसे किसी कर्मचारी की प्रोन्नित के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसकी फीडर श्रेणी पद में पुष्टि न हो चुकी हो।
		वियाराधीन क्षेत्र
		पुनरावर्तकों सहित रिक्तियों की संख्या का तीन गुना ।
		स्पष्टीकरण-
		(1) सामान्य प्रणाली के अधीन रिक्तियां, त्वरित प्रणाली के अधीन रिक्तियों को भरने के पश्चात्, भरी जाएगी ।
		(2) ऐसे कर्मचारियों पर, जो सामान्य प्रणाली के अधीन पात्र हैं, त्वरित प्रणाली के अधीन भी विचार किया जाएगा ।
		(3) दोनों प्रणालियों के लिए संयुक्त लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा ।
		फास्ट ट्रैक यैनल :
		कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीय) के रूप में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक सहित पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए । प्रोन्नित के लिए सेवा के वर्षों की संख्या के रूप में न्यूनतम पात्रता उस वर्ष की जिसमें रिक्ति का उद्भृत होना प्रत्याशित है या वास्तव में उद्भृत हो चुकी है, 1 अप्रैल को संगणित की जाएगी :
		परंतु ऐसे किसी कर्मचारी की प्रोन्नित के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसकी फीडर श्रेणी पद में पुष्टि न हो चुकी हो ।
		विचाराधीन क्षेत्र
		समस्त पात्र कर्मचारी ।
(iii)	चयन प्रक्रिया	चयन, लिखित परीक्षा और और साक्षात्कार में संयुक्त कार्य निष्पादन के आधार पर नीचे दिए गए अंकों के विमाजन के अनुसार किया जाएगा :

				लिखित परीक्षा : 70 अंक
				साक्षात्कार : 30 अंक
	1			कुल : 100 अंक
				अभ्यर्थियों से ऐसी लिखित परीक्षा में, जिसमें अंग्रेजी या हिन्दी और अंकगणित की परीक्षा सम्मिलित होगी, भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा को आबंटित 70 अंक निम्नलिखित प्रकार से पुनः विभाजित होंगे:
				अंग्रेजी या हिन्दी : 35 अंक
				अंकगणित : 35 अंक
				জুল : 70 sia
		(iv)	योग्यता	साधारण यैनल :
			सूची का तैयार किया जाना	प्रोन्नित के लिए अभ्यर्थियों के चयन, पृथक रूप से सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनके संयुक्त निष्पादन के आधार पर होंगे।
				लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के कुल योग का न्यूनतम कटआफ अंक, 40 प्रतिशत होगा ।
				प्रोन्नित के लिए पैनलित किए जाने वाले चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, ऐसे अभ्यर्थियों में से, जिन्होंने न्यूनतम कट-आफ अंक प्राप्त किए हैं, ज्येष्टता क्रम में अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के समान होगी।
				फास्ट ट्रैक चैनल :
				अभ्यर्थियों का चयन, समिति द्वारा पृथक् रूप से सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में संयुक्त निष्पादन के आधार पर योग्यता के क्रम में किया जाएगा।
				लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के कुल योग का न्यूनतम कट- ऑफ अंक, 45 प्रतिशत होगा । चयन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर, रिक्तियों की सीमा तक, योग्यता के अवरोही क्रम में अभ्यर्थियों को रखते हुए होगा ।

			इस प्रणाली के अधीन रिक्तियां, जो अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अचयनित होने के कारण भरने से शेष रह गई हैं, व्यपगत हो जाएंगी और सामान्य प्रणाली द्वारा भरी जाएंगी ।
	(घ)	परस्पर ज्येष्ठता	उनके फीडर पदों पर सामान्य प्रणाली या त्वरित प्रणाली के माध्यम से चयनित सभी पैनलित कर्मचारियों की परस्पर ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहेगी ।
	(ভ)	साक्षात्कार के लिए समिति की संरचना ।	समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :- (1) महाप्रबंधक और जहां कोई महाप्रबंधक नहीं है वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - अध्यक्ष
			(2) संबद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का, मान 2 की पंक्ति से अन्यून का, बोर्ड द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य (3) प्रायोजक बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य (4) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य टिप्पण : यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य नहीं है तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त पद के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेंगा।
	(च)	सीधी भर्ती के लिए और प्रोन्नित के लिए पैनल की विधिमान्यता I	पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

#### रिपाण

- इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पूर्व, प्रोन्नित के लिए पात्र पदधारी, प्रोन्नित हेतु विचार किए जाने के लिए बने रहेंगे ।
- ऐसे प्रद्यारियों की सेवा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व प्रोन्नित के लिए पात्र पर्दों को धारण कर रहे हैं, प्रोन्नित के प्रयोजन के लिए संगणित किए जाने के लिए बनी रहेगी ।

# भाग 3- समूह "ग्" भर्ती

		कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीय)		
1.	(ক)		पद का नाम	कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीय)
	(ख)		वर्गीकरण	समृह "ग"
	(ग)		नियुक्ति की पद्धति	100% सीधी मर्ती द्वारा
	(घ)		आयु	18 वर्ष और 28 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिलनीय)
	(\$)		न्यूनतम अर्हता और पात्रता	राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य और ऐसे विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए अन्य अपेक्षित दक्षताएं जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाएं।
	(व)		चयन प्रक्रिया	साक्षात्कार के आधारं पर ।
	(छ)		योग्यता सूची का तैयार किया जाना	कार्यालय परिचर (बहुप्रयोजनीय) की नियुक्ति के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूचियां पृथक् रूप से सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए साक्षात्कार में उनको प्रवान श्रेणी के आधार पर तैयार की जाएगी।  भर्ती के लिए पैनलित किए जाने वाले चयनित अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के समान होगी। उसमें इसके अतिरिक्त ऐसी अधिसूचित रिक्तियों के जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाएं, 50 प्रतिशत से अनधिक चयनित अभ्यर्थियों का अतिरिक्त पैनल, प्रत्येक प्रवर्ग के लिए न्यूनतम दो अभ्यर्थियों सहित सभी प्रवर्गों में अल्यावश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाएगा।
	(ज)		समिति की संरचना ।	रामिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :- (1) महाप्रबंधक और जहां कोई महाप्रबंधक नहीं है वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट मान 3 की पंक्ति से अन्यून का कोई अधिकारी - अध्यक्ष (2) संबद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मान 2 की पंक्ति से अन्यून का, बोर्ड द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य

			(3) प्रायोजक बँक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य टिप्पण : यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य नहीं है तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त पद के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।		
	(화)	पैनल की विधिमान्यता ।	पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।		

# टिप्पण :

- इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पूर्व, प्रोत्नित के लिए पात्र पदधारी, प्रोत्नित हेतु विचार किए, जाने के लिए बने रहेंगे ।
- ऐसे पद्धारियों की सेवा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व प्रोन्नित के लिए पात्र पदीं को धारण कर रहे हैं, प्रोन्नित के प्रयोजन के लिए संगणित किए जाने के लिए बनी रहेगी ।

[फा. सं. 7/5/2009-आरआरबी] के. वी. ईंपन, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :**∞ मूल नियम का.आ.895 (अ) तारीख 28.09.1988 के अधीन प्रकाशित किये गए थे और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ.सं० 642(अ) तारीख 29.07.1998 द्वारा किए गए ।

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Financial Services) NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2010

**S.O. 1663(E).**—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) read with section 17 thereof and in supersession of the Regional Rural Banks (Appointment and Promotion of Officers and other Employees) Rules, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consultation with the National Bank and the Sponsor Banks specified in the Second Schedule to these rules, hereby makes the following rules, namely:-

#### 1. Short title and commencement-

- (1) These Rules may be called the Regional Rural Banks (Appointment and Promotion of Officers and Employees) Rules, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Definitions.-

In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976);
- (b) "Committee" means the Committee constituted by the Board under rule 11 of these rules;
- (c) "Regional Rural Bank (Officers and Employees) Service Regulations means the Service Regulations framed under section 30 of the Act;
- (d) "Schedule" means any one of the Schedules to these rules;
- (e) "Sponsor Bank" in relation to Regional Rural Bank specified in column (2) of the Second Schedule means, -
  - (i) the Sponsor Bank specified in column (3) of Second Schedule; and

- (ii) which sponsors the Regional Rural Banks specified in column (2) of the Second Schedule.
- (f) all other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

#### 3. Category of Posts.-

- (1) (a) The officers and employees of the Bank shall be classified as follows:-
  - (1) Group "A" Officer
  - (i) Scale I (Assistant Manager) Junior Management
  - (ii) Scale II (Manager) Middle Management
  - (iii) Scale III- (Senior Manager) Middle Management
  - (iv) Scale IV (Chief Manager) Senior Management
  - (v) Scale V (Assistant General Manager) Senior Management

Explanation: For the purposes of these rules, the Officers may be functionally designated by the Chairman, as Branch Manager, Regional Manager or General Manager, depending on the work or functions assigned and the Scale of the Officer.

- (b) Group "B" shall consist of Office Assistants (Multipurpose).
- (c) Group "C" shall consist of Office Attendants (Multipurpose).
- (2) Group "A", Group "B" and Group "C" shall consist of officers and employees of each Regional Rural Bank specified in the First Schedule to these rules.

#### 4. Creation of Posts.-

The Board may, create requisite number of vacancies in each category of posts as are specified in the First Schedule to these rules in accordance with the guidelines approved by the Central Government from time to time.

#### 5. Vacancies .-

The Board may determine the number of vacancies in each category of posts to be filled by direct recruitment or promotion, keeping in view the Guidelines approved by Central Government from time to time.

### 6. Filling up of vacancies.-

- (i) All vacancies determined under rule 5 by the Board shall be filled by promotion or direct recruitment in accordance with the provisions contained in these rules and Third Schedule to these rules;
- (ii) Officers in Senior Management of Scale IV and Scale V are liable to be posted to any other Regional Rural Bank sponsored by the same Sponsor Bank as General Manager as per the decision of the Sponsor Bank.

#### 7. Appointing Authority.-

The Chairman shall be the Appointing Authority in respect of officers and the General Manager shall be the appointing authority in respect of employees, if so authorised by the Board:

Provided that if there is no incumbent to the post of General Manager, the Chairman shall be the Appointing Authority in respect of employees also.

#### 8. Direct recruitment.-

The vacancies of officers and employees shall be filled by each Regional Rural Bank in accordance with the provisions of Third Schedule of these rules and subject to such guidelines as may be issued by the Central Government from time to time.

#### Agency for Direct Recruitment.-

(i) Written examination for the selection of the candidates by direct recruitment to the posts of officers and employees other than those of Group 'C' employees shall be entrusted to the Institute of Banking Personnel Selection or any other agency approved by the Sponsor Bank. (ii) The Institute of Banking Personnel Selection or approved Agency shall follow the procedure as laid down under rule 8 and forward the list of candidates qualified in the written examination to the Regional Rural Bank concerned.

#### 10. Recruitment to the posts of Group 'C' .-

The posts of Group 'C' employee shall be filled in by the Regional Rural Bank after making a reference to the Employment Exchange, Sainik Board or other agencies catering to the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Physically Challenged Persons or other special category of persons as are recognised by the Central Government or the State Government having jurisdiction over the Regional Rural Bank filling the posts:

Provided that preference shall be given to candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or guidelines issued by the Central Government in this regard from time to time.

#### 11. Constitution and function of Committee.-

- (i) The Board may, from time to time, constitute Committees consisting of the persons specified under each post in the Third Schedule for the purpose of recommending candidates for recruitment or promotion to the posts referred to in the Third Schedule.
- (ii) The Committees shall function for such period as may be determined by the Board.
- (iii) The Committees shall recommend to the Appointing Authority the candidates for recruitment or promotion to the posts mentioned in the Third Schedule to these rules, in accordance with the provisions contained in that Schedule.

#### 12. Reservation.-

Provisions of Reservation Policy for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Special category of persons as per the Guidelines of Department of Personnel and Training, issued from time to time, to the extent relevant in the context of the Regional Rural Banks, shall apply while following these Rules.

#### 13. Power to Interpret.-

The power to interpret these Rules shall vest in the Central Government and the Central Government may issue such administrative instructions or guidelines in consultation with the National Bank as may be necessary to give effect to and carry out the provisions of these rules or to remove any difficulty in their implementation.

# FIRST SCHEDULE (See rule 3)

# Category of posts in each Regional Rural Bank

			Photograph of the second secon
Serial Number	Classification of Officers and Employees	Description of Post	Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Group "A"	Officer Junior Management (Scale I)	Assistant Manager
2	Group "A"	Officer Middle Management (Scale II)	Manager
3	Group "A"	Officer Middle Management (Scale III)	Senior Manager
4	Group "A"	Officer Senior Management (Scale IV)	Chief Manager
5	Group "A"	Officer Senior Management (Scale V)	Assistant General Manager
6	Group *B"	Office Assistant (Multipurpose)	Office Assistant (Multipurpose)
7	Group "C"	Office Attendant (Multipurpose)	Office Attendant (Multipurpose)

## SECOND SCHEDULE

# (See rule 2e)

# List of Regional Rural Banks and their Sponsor Banks

Owner.	NI	Owner Dank	Dista
Serial Number	Name of the Regional Rural Bank	Sponsor Bank	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Chaitanya Godavari Grameena Bank	Andhra Bank	Andhra Pradesh
2	Saptagiri Grameena Bank	Indian Bank	Andhra Pradesh
3	Deecan Grameena Bank	State Bank of Hyderabad	Andhra Pradesh
4	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	State Bank of India	Andhra Pradesh
5	Andhra Pragathi Grameena Bank	Syndicate Bank	Andhra Pradesh
6	Arunachal Pradesh Rural Bank	State Bank of India	Arunachal Pradesh
7	Langpi Dehangi Rural Bank		Assam .
8	Assam Gramin Vikash Bank		Assam
9	Uttar Bihar Gramin Bank	Central Bank of India	Bihar .
10	Madhya Bihar Gramin Bank		Bihar
11	Samastipur Kshetriya Gramin Bank	State Bank of India	Bihar
12	Bihar Kshetriya Gramin Bank	UCO Bank	Bihar
13	Surguja Kshetriya Gramin Bank	Central Bank of India	Chhatisgarh
14	Durg Rajnandgaon Gramin Bank	Dena Bank	Chhatisgarh
15	Chhatisgarh Gramin Bank	State Bank of India	Chhatisgarh
16	Baroda Gujarat Gramin Bank	Bank of Baroda	Gujarat
17	Dena Gujarat Gramin Bank	Dena Bank	Gujarat
18	Saurashtra Gramin Bank	State Bank of Saurashtra	Gujarat
19	Haryana Gramin Bank	Punjab National Bank	Haryana
20	Gurgaon Gramin Bank	Syndicate Bank	Haryana
21	Himachal Gramin Bank	Punjab National Bank	Himachal Pradesh

22	Parvatiya Gramin Bank	State Bank of India	Himachal Pradesh
23	Ellaquai Dehati Bank	State Bank of India	Jammu & Kashmir
24	J&K Grameen Bank	J&K Bank Ltd.	Jammu & Kashmir
25	Jharkhand Gramin Bank	Bank of India	Jharkhand
26	Vananchal Gramin Bank	State Bank of India	Jharkhand
27	Pragathi Gramin Bank	Canara Bank	Karnataka
28	Chikmagalur Kodagu Grameena Bank	Corporation Bank	Karnataka
29	Krishna Grameena Bank	State Bank of India	Karnataka
30	Cauvery Kalpatharu Grameena Bank	State Bank of Mysore	Karnataka
31	Karnataka Vikas Grameen Bank	Syndicate Bank	Karnataka
32	Visveshvaraya Grameena Bank	Vijaya Bank	Karnataka
33-	South Malabar Gramin Bank	Canara Bank	Kerala
34	North Malabar GraminBank	Syndicate Bank	Kerala
35	Sharda Gramin Bank	Allahabad Bank	Madhya Pradesh
36	Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank	Bank of Baroda	Madhya Pradesh
37	Narmada Malwa Gramin Bank	Bank of India	Madhya Pradesh
38	Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank	Central Bank of India	Madhya Pradesh
39	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank	State Bank of Indore	Madhya Pradesh
40	Madhya Bharath Gramin Bank	State Bank of India	Madhya Pradesh
41	Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank	UCO Bank	Madhya Pradesh
42	Rewa Sidhi Gramin Bank	Union Bank of India	Madhya Pradesh
43	Maharashtra Gramin Bank		Maharashtra
44	Wainganga Krishan Gramin Bank	Bank of India	Maharashtra
45	Vidharbha Kshetriya Gramin Bank		Maharashtra
46	Manipur Rural Bank	United Bank of India	Manipur
47	Meghalaya Rural Bank	State Bank of India	Meghalaya

2110010

48	Mizoram Rural Bank	State Bank of India	Mizoram
49	Nagaland Rural Bank	State Bank of India	Nagaland
50	Rushikulya Gramya Bank	Andhra Bank	Orissa
51	Baitarni Gramya Bank	Bank of India	Orissa
52	Neelachal Gramya Bank	Indian Overseas Bank	Orissa
53	Utkal Gramya Bank	State Bank of India	Orissa
-54	Kalinga Gramya Bank	UCO Bank	Orissa
55	Puduvai Bharthiar Grama Bank	Indian Bank	Puducherry
56	Sutlej Gramin Bank	Punjab and Sind Bank	Punjab
57	Malwa Gramin Bank	State Bank of Patiala	Punjab
58	Punjab Gramin Bank	Punjab National Bank	Punjab
59	Baroda Rajasthan Gramin Bank	Bank of Baroda	Rajasthan
60	Mewar Anchalik Gramin Bank	Bank of Rajasthan	Rajasthan
61	Hadoti Kshetriya Gramin Bank	Central Bank of India	Rajasthan
62	MGB Gramin Bank	State Bank of Bikaner and Jaipur	Rajasthan
63	Jaipur Thar Gramin Bank	UCO Bank	Rajasthan
64	Rajasthan Gramin Bank	Punjab National Bank	Rajasthan
65	Pallavan Grama Bank	Indian Bank	Tamil Nadu
66	Pandyan Grama Bank	Indian Overseas Bank	Tamil Nadu
67	Tripura Gramin Bank		Tripura
68	Allahabad UP Gramin Bank		Uttar Pradesh
69	Baroda UP Gramin Bank	Bank of Baroda	Uttar Pradesh
70	Aryavart Gramin Bank	Bank of India	Uttar Pradesh
71	Shreyas Gramin Bank		Uttar Pradesh
72	Ballia Etawah Gramin Bank		Uttar Pradesh
73	Sarva UP Gramin Bank	Punjab National Bank	Uttar Pradesh
74	Purvanchal Gramin Bank	State Bank of India	Uttar Pradesh
75	Prathma Bank	Syndicate Bank	Uttar Pradesh
76	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Union Bank of India	Uttar Pradesh
77	Kshetriya Kisan Gramin Bank	UP State Cooperative Bank	Uttar Pradesh
78	Nainital Almora Kshetriya Bank	Bank of Baroda	Uttarakhand
79	Uttaranchal Gramin Bank	State Bank of India	Uttarakhand

80	Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank	Central Bank of India	West Bengal
81	Bangiya Gramin Vikash Bank	United Bank of India	West Bengal
82	Paschim Banga Gramin Bank	UCO Bank	West Bengal

### THIRD SCHEDULE

(See rule 8 and 11)

Appointment to different categories of officers and employees to Group "A", "B" and "C" posts whether by direct recruitment or by promotion shall be effected as follows:

Part I - Group "A"
Recruitment and Promotion

1,5		-		
-1			Officer Junior Manage	ement (Scale I)
	a)		Name of Post	Officer Junior Management (Scale I)
	b)		Classification	Group "A"
	c)		Mode of appointment	50% by Direct Recruitment and 50% by Promotion from Group 'B'.
	(A)		For Direct Recruitment	
		(i)	Age	Above 18 years but below 28 years (relaxation of age in case of Scheduled Caste/Scheduled Tribes candidates or candidates belonging to other Reserved categories in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government from time to time in this regard)
		(ii)	Minimum Qualification	(i) Bachelor degree of a recognised University in any discipline or its equivalent.  Preference will be given to the candidates having degree in Agriculture, Horticulture, Forestry, Animal Husbandry, Veterinary Science, Agricultural Engineering, Pisciculture, Agricultural Marketing and Cooperation, Information Technology, Management, Law, Economics and Accountancy;  (ii) Proficiency in local language, as may be specified by the Board;  (iii) Computer knowledge or awareness will be an added qualification.

(ii	ii) S		The Selection shall be made on the stand interview as under:	he basis of written
		"	est and interview do disco.	
			Written Test	70 marks
			Interview	30 marks
			Total	100 marks
			The written test will be conducted	by the Institute of
			Banking Personnel Selection or approved by the Sponsor Bank.	any other agency
			The written test shall cover (a) (b) Numerical Ability, (c) General General English or Hindi. The calminimum 40% marks in the writter for interview. In the case of cand the Scheduled Castes or the categories, the minimum marks shall be 35% to qualify for interview.	Knowledge and (d) indidates securing a en test shall qualify lidates belonging to Scheduled Tribes in the written test
			All those candidates who have qualifying marks stipulated for vin the order of merit, shall be upto the ratio of 1:3.	vritten examination,
			The merit lists of successful category shall be made separa combined performance in the interview.	tely on the basis of written test and
	(iv)	Preparation of Merit list	Lists of successful candidates. Officer Junior Management of prepared on the basis of ranking in the combined performance interview for General, Scheduler Tribes and Other Special category.	g accorded to them of written test and d Castes, Scheduled
			empanelled for recruitment sh	addition thereto, and ed candidates no acancies as may be a minimum of tw
(B)		For Promotion		
	(i)	Mode of promotion	50% of the vacancies for pror under Normal Channel and 50 Channel as per eligibility an given as follows:-	1% under Fast Trac
	(ii)	Eligibility	Promotion shall be made employees holding, on full tin	from amongst th

the post of Office Assistant (Multipurpose).

#### Normal Channel

Must have ten years experience as Office Assistant (Multipurpose) on full time and regular basis. The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1<sup>st</sup> day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen. Relaxation in eligibility criteria of one year service will be given to such of the candidates who have passed Junior Associate of the Indian Institute of Bankers(JAIIB) of Indian Institute of Banking and Finance and one more year in case of such candidates who have passed Certified Associate of the Indian Institute of Bankers(CAIIB) of Indian Institute of Bankers(CAIIB) of Indian Institute of Banking & Finance. However, such relaxation will be available only once during the entire service period:

Provided that no employee shall be considered for promotion unless he has been confirmed in the feeder grade post.

#### Zone of consideration:

Three times the number of vacancies including repeaters.

#### Explanation .-

- Vacancies under Normal Channel shall be filled after filling the vacancies under Fast Track Channel.
- The Employees who are eligible under Normal Channel shall also be considered under Fast Track Channel.
- There shall be common written examination and interview for both the channels.

#### Fast Track Channel:

Must have six years service as Office Assistant (Multipurpose) on full time and regular basis and should have passed Graduation from a recognised University. The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1<sup>st</sup> day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen. Relaxation in eligibility criteria of one year service will be given to such of the candidates who have passed Junior Associate of the Indian Institute of Bankers(JAIIB) of Indian Institute

			Associate of the Indian Institute of Indian Institute of Banking & I such relaxation will be available the entire service period.  Provided that no employee shall promotion unless he has been feeder grade post.  Zone of consideration:	passed Certified of Bankers(CAIIB) Finance. However, only once during be considered for
			All eligible employees.	
	(iii)	Selection Process	The selection shall be on the bas in the written test, interview an performance appraisal reports as marks given below:	d last five years
1			Written Test	CO availa
			Interview .	50 marks 20 marks
HP.			Performance Appraisal Reports	30 marks
			Total	100 marks
			written test comprising test in G Hindi and General Banking know allotted to written test shall be tunder:-	vledge, 50 marks
	112		(i) General English or Hindi	20 marks
			(II) General Banking knowledge	30 marks
	9 8		Total marks	50 marks
	(iv)	Preparation of Merit List	Normal Channel	
			There shall be minimum qualifying aggregate of written test, interview appraisal reports.	marks of 50% in and performance
			Selection of successful candidat shall be made by going down is starting from the top and selection score the said minimum qualifying the aggregate up to a number eq- of vacancies notified for this chann	n Seniority Order ng those found to marks of 50% in ual to the number
			Fast Track Channel:	
			There shall be minimum qualifying aggregate of written test, interview	marks of 60% in and performance

		T		
				appraisal reports.
				Selection will be based on the aggregate marks secured in the written test, interview and performance appraisal reports by placing the candidates in descending order of merit to the extent of number of vacancies.  The vacancies under this channel, which remain unfilled for want of non-selection of adequate
				number of candidates shall lapse and shall be filled up by way of normal channel.
	(d)		Inter-se-Seniority	The Inter-se-seniority of all the empanelled officers selected through normal channel or fast track channel in their feeder posts shall remain unchanged.
	(e)			The Committee shall consist of the following, namely:-
				(1) The Chairman of the Regional Rural Bank concerned Chairman
				(2) Director nominated by the Sponsor Bank - Member
				(3) Director nominated by the National Bank - Member
				Note: If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as an additional member of the Committee.
	(f)		Validity of the panel for direct recruitment and for promotion	The panel shall be valid for a period of one year.
H			Officer Middle Manage	ement (Scale II)
1	(a)	5	Name of post	Officer Middle Management (Scale II)
	(b)		Classification	Group "A"
	(c)		Mode of appointment	25% by direct recruitment (of which 10% from Specialist cadre like Information Technology, Agriculture, Treasury, Law, Marketing, Chartered Accountants etc. and 15% from experienced officers) and 75% by promotion

	Levi		B B: 18 1 1	
	(A)	(i)	For Direct Recruitment: Age	Above 21 years but below 32 years (relaxation of age in case of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes candidates or candidates belonging to other special categories in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
		(ii)	Minimum Qualification and Eligibility	(I) Information Technology  Degree from a recognised University in Electronics / Communication / Computer Science / Information Technology or its equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate.
				Desirable Experience :  Certificate in ASP, PHP, C++, Java, VB, VC, OCP etc.  Experience : One year
				(II) Chartered Accountants
				Experience : One Year
				Old Comparison (III) Law Officer  Degree from a recognised University in Law or its equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate.  Experience -
mMC - 1				Two years as an advocate or should have worked as Law Officer in Banks or Financial Institutions for a period not less than two years.
				(IV) Treasury Manager
				Candidate should be a Chartered Accountant or MBA in Finance from a reputed Institute. Experience one year
				(V) Marketing Officer
				MBA in Marketing from any Institute of repute.  Experience - one year
				(VI) Agricultural Officer
				Degree from a recognised University in any discipline in Agriculture, Horticulture, Dairy, Animal Husbandry, Forestry, Veterinary Science, Agricultural Engineering, Pisciculture or its equivalent, with a minimum of 50% marks in

				gaggagate
				aggregate.
ł				Experience Two years
				(VII) General Banking Officer
				Degree from a recognised University in any discipline or its equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate. Preference will be given to the candidates having degree/ diploma in Banking, Finance, Marketing, Agriculture, Horticulture, Forestry, Animal Husbandry, Veterinary Science, Agricultural Engineering, Pisciculture, Agricultural Marketing and Co-operation, Information Technology, Management, Law, Economics and Accountancy.
				Experience Two years as an officer in Bank or Financial Institution.
		(iii)	Selection process	The selection of the candidates shall be on the basis of written test and interview. The written test shall be conducted through Institute of Banking Personnel Selection or any other agency approved by the Sponsor Bank.
			2015	The candidates securing a minimum qualifying marks of 40% in the written test shall qualify for interview. In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes categories, the minimum qualifying marks in written test shall be 35% to qualify for interview.
	The same			All those candidates who have secured minimum qualifying marks stipulated for written examination, in the order of merit, shall be called for interview upto the ratio 1:3.
				The merit lists of successful candidates in each category shall be made separately on the basis of combined performance in the written test and interview.
		(iv)	Preparation of Merit List	The list of successful candidates for appointment to Officer Middle Management (Scale II) shall be prepared on the basis of their combined performance of written test and interview for General, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Special categories, separately.
				The number of selected candidates to be empanelled for recruitment shall be equal to the number of notified vacancies. In addition thereto, an additional panel of selected candidates not exceeding 50% of the notified vacancies to be

2679 GI/10-7

			decided by the Board with a minimum of two candidates in each category shall be drawn-up to meet exigencies.
(B)		For Promotion:	
	(i)	Mode of Promotion	50% of the vacancies for promotion shall be filled under Normal Channel and 50% under Fast Track Channel as per eligibility and selection process given as follows:-
	(ii)	Eligibility	Promotion shall be made from amongst the officers holding the post of Officer Junior Management (Scale I), full time on a regular basis.
			Normal Channel:
			Must have eight years experience as Officer Junior Management (Scale I) on full time and regular basis. The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1 <sup>st</sup> day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen. Relaxation in eligibility criteria of one year service will be given to such of the candidates who have passed Junior Associate of the Indian Institute of Bankers(JAIIB) of Indian Institute of Banking and Finance and one more year in case of such candidates who have passed Certified Associate of the Indian Institute of Bankers(CAIIB) of Indian Institute of Banking & Finance. However, such relaxation will be available only once during the entire service period:
			Provided that no officer shall be considered for promotion unless he has been confirmed in the feeder grade post.
			Zone of consideration :
			Three times the number of vacancies including repeaters.
			Explanation -  1. Vacancies under Normal Channel shall be filled after filling the vacancies under Fast Track Channel.  2. The Officers who are eligible under Normal Channel shall also be considered under Fast Track Channel.  3. There shall be common written examination and interview for both the channels.

100				
			Fast Track Channel:	
			In Officer Junior Management (Scale I) for a period of six years. The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1 <sup>st</sup> day of April of the year in	
			which the vacancy is expected actually arisen. Relaxation in eligil year service will be given to such	bility criteria of one of the candidates
			who have passed Junior Assoc Institute of Bankers(JAIIB) of I Banking and Finance and one mo such candidates who have	ndian Institute of ore year in case of passed Certified
			Associate of the Indian Institute of Indian Institute of Banking & I such relaxation will be available the entire service period.	Finance, However,
			Zone of consideration	
L			All eligible officers.	
	(iii)	Selection Process	The selection shall be on the bas in the written test, interview appraisal reports for preceding fiv division of marks given below:-	and performance
			Written Test Interview	50 Marks 20 marks
Ł			Performance Appraisal Reports	30 marks
			Total	100 marks
			50 marks allotted to written tes divided as under :-	t shall be further
			Part "A" : 25 ma Part "B" : 25 ma	C. T. ISSA
			The candidates shall be required written test comprising of two particovering Banking Law and Practic Part (B) covering Credit Policy, C including Priority Sector, Management.	ts namely Part (A) be of Banking and
	(iv)		Normal Channel:	
		List	There shall be minimum qualifying aggregate of written test, interview appraisal reports.	marks of 50% in and performance
			Selection of successful candidat shall be made by going down in	es for promotion

_					
				starting from the top and selecting those found to score the said minimum qualifying marks of 50% in the aggregate up to a number equal to the number of vacancies notified for this channel.	
				Fast Track Channel:	
				The selection of candidates shall be made by the Committee in order of merit on the basis of written test, interview and performance appraisal reports.	
				There shall be minimum qualifying marks of 60% in aggregate in the written test, interview and performance appraisal reports. Selection will be based on the aggregate marks secured in the written test, interview and performance appraisal reports by placing the candidates in descending order of merit to the extent of number of vacancies.	
				The vacancies under this channel, which remain unfilled for want of non-selection of adequate number of candidates shall lapse and shall be filled up by way of normal channel.	
	(d)		Inter-se-Seniority	The Inter-se-seniority of all the empanelled officers selected through normal channel or fast track channel in their feeder posts shall remain unchanged.	
	(e)			The Committee shall consist of the following, namely:- (1) The Chairman of the Regional Rural Bank concerned - Chairman (2) Director nominated by the Sponsor Bank - Member (3) Director nominated by the National Bank - Member	
				Note: If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as an additional member of the Committee.	
The state of the s	(f)		Validity of the Panel for Direct Recruitment and for Promotion	The panel shall be valid for a period of one year.	
111			Officer Middle Manag	Officer Middle Management (Scale III)	
L	(a)		Name of Post	Officer Middle Management (Scale III)	
	(b)	1	Classification	Group "A"	

Ī	(c)		Mode of Appointment	10% by direct recruitment and 90% by promotion
	(A)		For Direct Recruitment	
		(i)	Age	Below the age of 40 years (relaxation of age in the case of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes candidates or candidates belonging to other Special categories in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
		(ii)	Minimum Qualification and Eligibility	Degree from a recognised University in any discipline or its equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate.
				Preference will be given to the candidates having Degree/ Diploma in Banking, Finance, Marketing, Agriculture, Horticulture, Forestry, Animal Husbandry, Veterinary Science, Agricultural Engineering, Pisciculture, Agricultural Marketing and Co-operation, Information Technology, Management, Law, Economics and Accountancy.
				Experience: Minimum 5 years experience as an Officer in any Bank or Financial Institutions.
		(iii)	Selection process	The selection of the candidates shall be on the basis of written test and interview. The written test shall be conducted through Institute of Banking Personnel Selection or any other agency approved by the Sponsor Bank.
				The candidates securing a minimum qualifying marks of 40% in the written test shall qualify for interview. In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes categories, the minimum qualifying marks in the written test shall be 35% to qualify for interview.
				All those candidates who have secured minimum qualifying marks stipulated for the written examination, in the order of merit, shall be called for interview upto the ratio 1:3.
				The merit lists of successful candidates in each category shall be made separately on the basis of combined performance in the written test and interview.
		(iv)	Preparation of Merit List	The list of successful candidates for appointment to Officer Middle Management (Scale III) shall be made on the basis of their combined performance of written test and interview for General, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Special categories, separately.

(B)		The number of selected candidates to be empanelled for recruitment shall be equal to the number of notified vacancies. In addition thereto, an additional panel of selected candidates not exceeding 50% of the notified vacancies as may be decided by the Board with a minimum of two candidates in each category shall be drawn-up to meet exigencies.  For Promotion:		
(0)		Part of the second seco		
	(i)	Mode of Promotion	50% of the vacancies for promotion shall be filled under Normal Channel while 50% under Fast Track Channel as per eligibility and selection process given as follows:-	
	(ii)	Eligibility	Promotion shall be made from amongst the officers holding, on full time and regular basis, the post of Officer Middle Management (Scale II).	
			Normal Channel	
			Must have seven years experience as an Officer Middle Management (Scale II). The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1 <sup>st</sup> day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen. Relaxation in eligibility criteria of one-year service will be given to such of the candidates who have passed Junior Associate of the Indian Institute of Bankers(JAIIB) of Indian Institute of Banking and Finance and one more year in case of such candidates who have passed Certified Associate of the Indian Institute of Bankers(CAIIB) of Indian Institute of Bankers(CAIIB) of Indian Institute of Banking & Finance. However, such relaxation will be available only once during the entire service period:	
			Provided that no officer shall be considered for promotion unless he has been confirmed in the feeder grade post.	
			Zone of consideration:	
			Three times of the number of vacancies including repeaters. Explanation	
			<ul> <li>(1) Vacancies under Normal Channel shall be filled after filling the vacancies under Fast Track Channel.</li> <li>(2) The Officers who are eligible under Normal Channel shall also be considered under Fast Track Channel.</li> </ul>	

(3) There shall be a written Examination for Fast Track Channel.

#### Fast Track Channel:

Must have five years experience as an Officer Middle Management (Scale II). The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1<sup>st</sup> day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen. Relaxation in eligibility criteria of one-year service will be given to such of the candidates who have passed Junior Associate of the Indian Institute of Bankers (JAIIB) of Indian Institute of Banking and Finance and one more year in case of such candidates who have passed Certified Associate of the Indian Institute of Bankers (CAIIB) of Indian Institute of Bankers (However, such relaxation will be available only once during the entire service period:

Provided that no officer shall be considered for promotion unless he has been confirmed in the feeder grade post.

#### Zone of consideration:

#### All eligible officers.

#### (iii) Selection Process

#### Normal Channel:

The selection shall be on the basis of performance in the interview and performance appraisal reports for preceding six years as per the division of marks given below:

Interview	40 marks
Performance Appraisal Re	ports 60 marks
Total	100 marks

The minimum qualifying marks in the interview shall be 50%.

Performance Appraisal Reports for the preceding six years shall be considered for the purpose of awarding marks for promotion. The minimum qualifying marks in the performance appraisal reports shall also be 50%

#### Fast Track Channel:

The selection shall be on the basis of performance in the written test, internew and performance appraisal reports for arreading six years as per the

	H		division of marks given below:	
			Written Test	50 Marks
			Interview	20 marks
			Performance Appraisal Reports	30 marks
			Total	100 marks
			50 marks allotted to written test divided as under:-  Part "A"	25 marks
			Part "B"	25 marks
			The candidates shall be required written test comprising two parts na Part (A) covering Banking Law Banking; and Part (B) covering Cro Management including Priority Seand Management	mely:- and Practice o edit Policy, Cred
	(iv)	Preparation of Merit	Normal Channel:	
List		List	There shall be minimum qualifying aggregate of written test, interview appraisal reports.	
			Selection of successful candidate shall be made by going down in starting from the top and selectin score the said minimum qualifying the aggregate up to a number equ of vacancies notified for this channel	Seniority Orde g those found t marks of 50% i ual to the numbe
-			Fast Track Channel:	
			The selection of candidates shall Committee in order of merit on the test, interview and performance app	e basis of writte
			There shall be a minimum cut off aggregate in the written test performance appraisal reports. Stated on the aggregate marks written test, interview and performance by placing the candidate order of merit to the extent of numbers.	interview an Selection will be secured in the mance appraises in descending
			The vacancies under this chann unfilled for want of non-select number of candidates shall lapse up by way of normal channel.	ion of adequat
(d)		Inter-se-Seniority	The Inter-se-seniority of all the enselected through normal chann	

		_				
				channel in their feeder posts shall remain unchanged.		
	(e)		Composition of the Committee for Interview	The Committee shall consist the following persons, namely:-  (1) The Chairman of the Regional Rural Bank concerned — Chairman		
				(2)Director nominated by the Sponsor Bank – Member (3)Director nominated by the National Bank - Member		
				Note:- If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as an additional member of the Committee.		
	(f)		Validity of the Panel for Direct Recruitment and for Promotion	The panel shall be valid for a period of one year		
IV			Officer Senior Manage	ement (Scale IV)		
	(a)		Name of post	Officer Senior Management (Scale IV)		
	(b)		Classification	Group "A"		
	(c)		Mode of appointment	By promotion or deputation as per eligibility and selection process given hereinafter.		
	(A)		For Promotion	J. S.		
		(1)	Eligibility	Promotion shall be made from amongst the officers holding, on a regular basis, the post of Officer Middle Management (Scale III) for a period of four years. The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1 <sup>st</sup> day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen.  Zone of consideration:		
		(ii)	Selection Process	The selection shall be on the basis of combined performance in the interview and performance appraisal reports for preceding four years as per the division of marks given below:    Interview		
		(iii)	IIST	List of successful candidates for promotion shall be made by the Committee in order of merit on the basis of combined performance of interview and		
0) 1	70	106	1. 0			

267990/10-8

	_				
				performance appraisal reports.	
				The number of selected candidates to be	
		76		empanelled for promotion shall be equal to the	
	2.0	25 4		number of notified vacancies in the order of merit.  The Inter-se-seniority of all the empanelled officers	
		(iv)	Inter-se-seniority	in their feeder posts shall remain unchanged.	
		7.1	O servicion of	The Committee shall consist of the following,	
				namely:-	
			Interview	(1)The Chairman of the Regional Rural Bank	
				concerned - Chairman	
- 2					
				(2) Director nominated by the Sponsor Bank  - Member	
				(3) Director nominated by the National Bank	
				- Member	
100		1		Note: If none of the members of the Committee	
				belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled	
		10		Tribes, the Board may nominate an officer of	
				suitable position belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes from the Regional Rural	
				Bank or Sponsor Bank or National Bank as an	
	186	130	additional member of the Committee.		
	-	(vi)	Validity of the Panel	The panel shall be valid for a further period of one	
		1417	validity of the falls.	year.	
	(B)		For Deputation		
1	2		Criteria	Officers holding analogous post in Regional Rural	
1	05			Bank sponsored by the same Sponsor Bank.	
V			Officer Senior Manag	rement (Scale V)	
V			Officer Serior Manag	cincin (oddio 1)	
		(i)	Name of the post	Officer Senior Management (Scale V)	
		(ii)	Classification	Group "A"	
	02	(iii)	Mode of appointment	By promotion as per eligibility and selection process	
	-	12. 1	Fit attaille.	given hereinafter.  Promotion shall be made from amongst the officers	
1	-	(iv)	Eligibility	holding, on a regular basis the post of Officer	
				Senior Management (Scale IV) for a period of three	
				vears. The minimum eligibility in terms of the	
				number of years of service for promotion shall be	
1	10			reckoned as on the 1st day of April of the year in	
				which the vacancy is expected to arise or has	
		15		actually arisen.	
				Zone of consideration:	
11/				All eligible officers.	
1		(v)	Selection Process	The selection shall be on the basis of combined	
				performance in the interview and performance	
	1	Part .		appraisal reports for preceding six years as per the	
1	-			division of marks given below:	
	1	4		Interview 40 marks	
				1.3	

		Performance Appraisal Reports Total	60 marks
		Total	100 marks
(vi)	iist	List of successful candidates for made by the Committee in order basis of combined performance performance appraisal reports. The number of selected carempanelled for promotion shall number of notified vacancies in the	er of merit on the of interview and andidates to be be equal to the
(vii)	Inter-se-seniority	The Inter-se-seniority of all the e in their feeder posts shall remain u	mpanelled officers
(viii)	Composition of Committee	The Committee shall consists namely:-  (1) The General Manager of th Bank Division of the Sponsor Bank	ne Regional Rural nk - Chairman
		(2) One of the RRB Chairmen of the same Sponsor Bank, to be nominated by the Sponsor Bank - Member	
		(3) An Officer nominated by N below the rank of General Manage	lational Bank not - Member
		Note: If none of the members belongs to the Scheduled Castes Tribes, the Board may nomina suitable position belonging to the or the Scheduled Tribes from the Bank or Sponsor Bank or National member of the Committed	or the Scheduled ate an officer of Scheduled Castes be Regional Rural conal Bank as an
(ix)	Validity of the Panel	The panel shall be valid for a perio	d of one year.

### Note:

- The incumbents eligible for promotion on or before the publication of this notification shall continue to be considered for promotion.
- The service of the incumbents, who are holding the posts eligible for promotion before publication of this notification, shall continue to be counted for the purpose of promotion.

# Part II - Group "B" Recruitment and Promotion

-		Office Assistant (Multipurpose)			
			Ollice Assistant (Municipu	rpose)	
1	(a)		Name of Post	Office Assistant (Multipurpose)	
	(b)		Classification	Group "B"	
	(C)		Mode of Appointment	75% by direct recruitment and 25% by promotion	
	(A)		For Direct Recruitment :	The state of the s	
		(i)	Age	Between 18 years and 28 years (relaxation of age in case of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes candidates or candidates belonging to other Special categories in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government in this regard from time to time)	
		(ii)	Minimum Qualification and Eligibility	Bachelor Degree or its equivalent of a recognised University in any discipline;     (ii) (a) Essential: Proficiency in local language as may be specified by the Board (b) Desirable: Knowledge of Computer skills.	
		(iii)	Selection Process	The Selection shall be made on the basis of written test and interview as under:  Written Test: 70 marks	
				Interview : 30 marks	
				The written test shall be conducted by the Institute of Banking Personnel Selection or any other agency approved by the Sponsor Bank.	
				The written test shall cover (a) Test of Reasoning, (b) Numerical Ability, (c) General Knowledge and (d) General English or Hindi.	
				The candidate securing a minimum of 40% marks in the written test shall qualify for interview. In the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes categories, the minimum marks in the written test shall be 35% to qualify for interview.	
				All those candidates who have secured minimum qualifying marks in written examination, in the order of merit, shall be called for interview upto the ratio of 1:3.	
				The merit lists of successful candidates in each category shall be made separately on the basis of combined performance in the written test and interview.	

	-			
	0	iv)	Preparation of Merit list	Lists of successful candidates for appointment to Office Assistant (Multipurpose) shall be prepared on the basis of ranking accorded to them based on aggregate marks in written test and interview for General, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Special categories, separately.  The number of selected candidates to be empanelled for promotion shall be equal to the number of notified vacancies in the order of seniority. In addition thereto, an additional panel of selected candidates not exceeding 50% of the notified vacancies as may be decided by the Board with a minimum of two candidates for each category, shall be drawn upto meet the exigencies.
(B) For Promotion		For Promotion		
			Mode of promotion	70% of the vacancies by promotion under Normal Channel and 30% under Fast Track Channel as per eligibility and selection process given hereinafter.
THE REAL PROPERTY.	()	ii)	Eligibility	Promotion shall be made from amongst the employees holding the post of Office Attendant (Multipurpose on a regular basis.
				Normal Channel:
				Must have ten years experience as Office Attendant (Multipurpose) and also must have passed 10 <sup>th</sup> Standard. The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1 <sup>st</sup> day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen:
				Provided that no employee shall be considered for promotion unless he has been confirmed in the feeder grade post
				Zone of consideration:
	1			Three times of the number of vacancies including repeaters.
				Explanation
				(1)Vacancies under Normal Channel shall be filled after filling the vacancies under Fast Track Channel.
				(2)The Employees who are eligible under Normal Channel shall also be considered under Fast Track Channel.
				(3)There shall be common written examination and interview for both the channels.

Fast Track Channel:					
(Multipurpose) with Graduation The minimum eligibility in terr service for promotion shall be	Must have five years experience as Office Attendant (Multipurpose) with Graduation from a recognised University. The minimum eligibility in terms of the number of years of service for promotion shall be reckoned as on the 1st day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen:				
Provided that no employee shounless he has been confirmed in	Provided that no employee shall be considered for promotion unless he has been confirmed in the feeder grade post				
Zone of consideration:					
All eligible employees.					
The selection shall be on the bathe written test and interview as below:	The selection shall be on the basis of combined performance in the written test and interview as per the division of marks, given below.				
Written Test	70 Marks				
	30 marks				
Total	100 marks				
comprising test in English or I afforted to written test shall be fu English or Hindi Arithmetic Total	Hindi and Arithmetic 70 marks				
t list Manage LOL					
Selection of candidates for pro- combined performance in Wi General, Scheduled Caste, Sch Categories, separately.  There shall be a minimum cut of written test and interview.  The number of selected cand promotion shall be equal to the the order of seniority from among minimum cut off marks.	off mark of 40% in aggregate of				
	Must have five years exp (Multipurpose) with Graduation The minimum eligibility in ten service for promotion shall be April of the year in which the variactually arisen.  Provided that no employee sh unless he has been confirmed in Zone of consideration.  All eligible employees.  The selection shall be on the bathe written test and interview as below.  Written Test Interview Total  The candidates shall be required comprising test in English or I allotted to written test shall be furply the first interview.  English or Hindi Arithmetic Total  tilist Normal Channel.  Selection of candidates for procombined performance in W General, Scheduled Caste, Sch Categories, separately.  There shall be a minimum cut of written test and interview.  The number of selected can promotion shall be equal to the the order of seniority from among				

_				
		5-3		Fast Track Channel:
				The selection of candidates shall be made by the Committee in order of merit on the basis of combined performance in written test and interview for General, Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Special Categories, separately.
				There shall be a minimum cut off marks of 45% in aggregate in the written test and interview. Selection shall be based on the aggregate marks obtained in the written test and interview by placing the candidates in descending order of merit to the extent of number of vacancies.
				The vacancies under this channel, which remain unfilled for want of non-selection of adequate number of candidates shall lapse and shall be filled up by way of normal channel.
				The Inter-se-seniority of all the empanelled employees selected through normal channel or fast track channel in their feeder posts shall remain unchanged.
		(e)	Composition of the Committee for Interview	The Committee shall consist of the following persons, namely:  (1) The General Manager and where there is no General Manager, an officer nominated by the Board of Regional Rural Bank  - Chairman
				(2) An officer of the Regional Rural Bank concerned not below the rank of officer scale II as nominated by the Board - Member
O. S.				An officer nominated by the Sponsor Bank - Member     An officer nominated by the National Bank - Member.
				Note: If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe as an additional member of the Committee.
	1 R	(f)	Validity of the panel for direct recruitment and for promotion	The panel shall be valid for a period of one year.

#### Note:

1. The incumbents eligible for promotion on or before the publication of this notification shall continue to be considered for promotion.

 The service of the incumbents, who are holding the posts eligible for promotion before publication of this notification, shall continue to be counted for the purpose of promotion.

# Part III - Group "C" Recruitment

		Office Attendant (Multip	urpose)
1,	(a)	Name of Post	Office Attendant (Multipurpose)
	(b)	Classification	Group "C"
	(c)	Mode of Appointment	100% by direct recruitment
	(d)	Age	Above 18 years but below 28 years (relaxation in case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes candidates or candidates belonging to other Special categories in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government of India in this regard from time to time.
	(e)	Minimum Qualification and Eligibility	A Minimum of Tenth Standard Pass or equivalent from an Education Board recognised by the State Government and other skills required for specific jobs, as may be decided by the Board.
	(f)	Selection Process	On the basis of interview.
	(g)		Lists of successful candidates for appointment to Office Attendant (Multipurpose) shall be prepared on the basis of ranking accorded to them in Interview for General, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Special categories, separately.  The number of selected candidates to be empanelled for recruitment shall be equal to the number of notified vacancies. In addition thereto, an additional panel of selected candidates not exceeding 50% of the notified vacancies as may be decided by the Board, with a minimum of two candidates for each category, shall be drawn up to meet exigencies in all categories.
The State of the S	(h)	Composition of the Committee	The Committee shall consist of the following persons, namely (1)The General Manager and where is no General Manager, an officer not below Scale III nominated by the Board of Regional Rural Bank - Chairman (2) An officer of the Regional Rural Bank concerned, not below Scale II as nominated by the Board - Member - Memb

मार्ग ११ — खण्ड ३(वं) रे	भारत का राज्यतः : असाधारण	б
相目 11 一句 25 3(ロ) 」	MICH AN INSTANCE ASSISTANCE	ď

		Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as an additional member of the Committee.
(1)	Validity of the Panel	The panel shall be valid for a period of one year.

- 1. The incumbents eligible for promotion on or before the publication of this
- notification shall continue to be considered for promotion.

  The service of the incumbents, who are holding the posts eligible for promotion before publication of this notification, shall continue to be counted for the purpose of promotion.

[F. No. 7/5/2009-RRB] K. V. EAPEN, Jt. Secy.

Note: -The principal rules were published under S.O. 895(E) dated 28.9.1988 and subsequent amended vide S.O. No. 642(E) dated 29.7.1998